झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 9984 25/11/16

:: संकल्प ::

चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि मो0 अफताब आलम, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला–धनबाद), के विरूद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियातु, लातेहार के पद पर कार्यावधि में मनरेगा योजना का समुचित अनुश्रवण नहीं करने, वित्तीय तथा प्रक्रियागत अनियमितता में संलिप्तता, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना तथा मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक–165/डी0आर0डी0ए0, दिनांक–05.03.2016 द्वारा संलग्न प्रपत्र–'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः मो0 आलम के विरूद्ध प्रपत्र– 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–17(2) के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा मो0 आलम को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. मो0 आलम द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. मो0 आलम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला विकास अभिकरण, लातेहार को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) मो0 अफताब आलम, झा0प्र0से0 एवं श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/- 24.11.16
(दिलीप तिर्की)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5/आरोप–1–29/2016 का० ..../राँची, दिनांक .... नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि– अनुलग्नकों सहित श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची/मो० अफताब आलम, झा०प्र०से०, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लावालौंग, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची से अनुरोध है कि कार्यवाही तुरन्त आरंभ कर अपना प्रतिवेदन 105 दिनों के अन्दर मूल कार्यवाही अभिलेख के साथ आदेश फलक की दो अतिरिक्त प्रतियाँ संलग्न कर इस विभाग को समर्पित करने की कृपा की जाय।

25.11.16

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5/आरोप–1–29/2016 का० 9984/राँची, दिनांक 25 नवम्बर, 2016

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर/उपायुक्त, लातेहार/उपायुक्त, चतरा/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 (चारित्री कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त, चतरा से अनुरोध है कि इस संकल्प का तामिला मो० अफताब आलम, झा०प्र०से०, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लावालौंग, चतरा को कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

25.11.16

सरकार के उप सचिव।